

20.12.17

वकील उभयपक्ष उभय वकील और सायल
ने प्रार्थना पत्र 09 R7CPC पेश किया। वकील सायल ने
कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं
है। अतः प्रार्थना पत्र 09 R7CPC स्वीकार कर
दि 09.11.17 को की गई एकतरफा कार्यवाही को
निरस्त किया जाता है।


वकील उभयपक्ष ने सहमति जाहिर
की कि ताऊसला दावा उभयपक्ष को विवादित
भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति
बनाये रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उभयपक्ष की सहमति से ताऊसला
दावा उभयपक्षवचान को आदेश निषेधाज्ञा से

P10

1/1

1/1

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम हुकम के में जा</p>
	<p>पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम खन्त 18 रकबा 1-18 हे० , 12/123 रकबा 0-30 हे० ग्राम बाद प्लान के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फेंसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमिल सलमन गुल पार है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०म०) </p>	